रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/94
REGISTERED NO. D.L.—33002/94

23

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र
# Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

असाधारण
EXTRAORDINARY

सं॰ 1] दिल्ली, सोमवार, जनवरी 2, 1995/पौष 12, 1916 [पी. आर. डी. सं. 01

No. 1] DELHI, MONDAY, JANUARY 2, 1995/PAUSA 12, 1916 [P. R. D. No. 01

भाग IV

## PART IV

---

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

## GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 2 जनवरी, 1995

सं.फा. 13(12)/94—न्याय-II/एल ए/1.—उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 30 दिसम्बर, 1994 को मिली अनुमति के पश्चात् विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है:

दिल्ली बिक्री कर (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1994

(दिल्ली अधिनियम सं. 12, 1994)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा यथा पारित अधिनियम)

एक

अधिनियम

दिल्ली बिक्री कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1994

एक

विधेयक

दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975 का और संशोधन करने के लिए।

भारत गणराज्य के पैंतालिसवें वर्ष में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित किया जाए :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ : (1) इस अधिनियम को दिल्ली बिक्री कर (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जाएगा।

(2) यह सम्पूर्ण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. धारा 4 का संशोधन : दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975 (1975 का 43) की धारा 4 उपधारा (1) में:--

(1) खंड (सी) के बाद निम्नलिखित नया खंड जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :--

"(सी.सी.) लाटरी टिकटों की कर-योग्य बिक्री पर रुपए में बीस पैसे की दर से"।

## DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

## NOTIFICATIONS

Delhi, the 2nd January, 1995

No. F. 13(12)/94-Judl.-II/LA/1.—The following Act of Legislative Assembly received the assent of the Lt. Governor of Delhi on 30th December, 1994 and is hereby published for general information.

### THE DELHI SALES TAX (Second Amendment) ACT, 1994

(DELHI ACT NO. 12 OF 1994)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi).

AN

ACT

Further to amend the Delhi Sales Tax Act 1975.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Forty-fifth year of the Republic of India as follows:—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Delhi Sales Tax (Second Amendment) Act, 1994.

(2) In extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force at once.

2. Amendment of Section 4.—In sub-section (1) of Section 4 of the Delhi Sales Tax Act, 1975 (43 of 1975):—

(1) after clause (c), the following new clause shall be inserted, namely:—

"(cc) in the case of taxable turnover in respect of lottery tickets, at the rate of twenty paise in the rupee)".

सं. फा. 13(13)/94--न्याय-II/एल/ए/2.--उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 30 दिसम्बर, 1994 को मिली अनुमति के पश्चात् विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है:

### राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकस्मिक निधि अधिनियम, 1994

(दिल्ली अधिनियम सं. 13, 1994)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित अधिनियम)

एक

अधिनियम

यह भारतीय गणतंत्र के पैंतालीसवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाएगा :--

1. (1) संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ :--यह अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आकस्मिक निधि अधिनियम, 1994 कहा जाएगा।

(2) यह संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा।

(3) यह तुरंत लागू होगा।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकस्मिक निधि की स्थापना--राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकस्मिक निधि के नाम से, एक आकस्मिक निधि की स्थापना अग्रदाय के रूप में की जाएगी जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की समेकित निधि से दस करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी।

3. आकस्मिक निधि की अभिरक्षा तथा उसमें से निकासी :--राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकस्मिक निधि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल (इसके पश्चात् उपराज्यपाल के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के नियंत्रण में रहेगी तथा उसमें से ऐसे आकस्मिक खर्चों, जिनके लिए विधान सभा से विधि द्वारा विनियोग लम्बित हो, के अतिरिक्त कोई भी अग्रिम राशि नहीं दी जाएगी।

4. नियम बनाने की शक्ति : इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकस्मिक निधि में धन के भुगतान, निकासी एवम् अभिरक्षा से सम्बद्ध और सहायक सभी मामलों को विनियमित करते हुए नियम बना सकते हैं।

5. नियमों का विधानसभा के समक्ष रखना--इस अधिनियम के अंतर्गत उपराज्यपाल द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाये जाने के यथा शीघ्र पश्चात्, विधान सभा के समक्ष रखा जायगा।

No. F. 13(13)/94-Judl.-II/LA/2.—The following Act of Legislative Assembly received the assent of the Lt. Governor of Delhi on 30th Dec-

e[illegible], 1994 and is hereby published for general information:—

THE CONTINGENCY FUND OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI ACT, 1994 (DELHI ACT NO. 13 OF 1994)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi)

AN

ACT

to provide for the establishment and maintenance of a Contingency Fund.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Forty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title, extent and commencement.—(i) This Act may be called the Contingency Fund of the National Capital Territory of Delhi Act, 1994.

(ii) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(iii) It shall come into force at once.

2. Establishment of the Contingency Fund of the National Capital Territory of Delhi.—There shall be established a Contingency Fund in the nature of an imprest entitled the Contingency Fund of National Capital Territory of Delhi, into which shall be paid from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi a sum of rupees ten crores.

3. Custody of the Contingency Fund and withdrawals therefrom.—The Contingency Fund of National Capital Territory of Delhi shall be held by the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi (hereinafter referred as "the Lieutenant Governor"), and no advances shall be made out of such Fund except for the purposes of meeting unforeseen expenditure pending authorisation of such expenditure by Legislative Assembly of Delhi under appropriations made by law.

4. Power to make rules.—For the purpose of carrying out the objects of this Act, the Lieutenant Governor may make rules regulating all matters connected with or ancillary to the custody of the payment of moneys into and the withdrawals of moneys from, the Contingency Fund of National Capital Territory of Delhi.

5. Laying of Rules before Legislative Assembly.—Every rule made by the Lieutenant Governor under this Act shall be laid, as soon as it is made, before the Legislative Assembly.

R. T. L. D'SOUZA, Under Secy. (L.A.)

सं. फा. 13(14)/94–न्याय-II/एल ए/3.—उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 30 दिसम्बर, 1994 को मिली अनुमति के पश्चात् विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :

विनियोजन अधिनियम (संख्या 4), 1994

(दिल्ली अधिनियम सं. 14, 1994)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा यथापारित अधिनियम)

एक

अधिनियम

वर्ष 1994-95 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए विधेयक।

इसे भारतीय संविधान के 45वें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए।

1. संक्षिप्त शीर्षक.—इस अधिनियम की विनियोजन (संख्या–4) अधिनियम, 1994 कहा जाय।

2. 15,07,00,000 रुपयों का निर्गम—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो जो अनुसूची के कालम (3) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिये पन्द्रह करोड़ सात लाख रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 1994-95 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।

3. विनियोजन.—इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिय विनियोजित की जाएगी।

अनुसूची

(खण्ड 2 व 3 देखें)

(रुपये हजारों में)

| मांग संख्या | सेवाएं एवं उद्देश्य | राशि इससे अधिक नहीं | | |
|---|---|---|---|---|
| | | विधान सभा द्वारा स्वीकृत | संचित निधि पर भारित | जोड़ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2. | सामान्य प्रशासन | 100 | — | 100 |
| 5. | पुलिस | 20000 | — | 20000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 10. | विकास | 30000 | -- | 30000 |
| 11. | स्वायत्त शासन निकाय तथा लोक निर्माण विभाग | 100600 | -- | 100600 |
| | जोड़ | 150700 | -- | 150700 |

आर. टी. एल. डिसूजा, अवर सचिव
(विधायी कार्य)

No. F. 13(14)|94-Judl.-II|LA|3.—The following Act of Legislative Assembly received the assent of the Lt. Governor of Delhi on 30th December, 1994 and is hereby published for general information:—

THE APPROPRIATION (NO. 4) ACT, 1994
(DELHI ACT NO. 14 OF 1994)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi)

AN

ACT

To authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the Government of National Capital Territory of Delhi for the services of the financial year 1994-95.

Be it enacted by the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi in the 45th year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act be called the Appropriation (No. 4) Act, 1994.

2. Issue of Rs. 15,07,00,000.—From a out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the schedule, amounting in the aggregate to the sum of Rupees fifteen crores and seven lacs towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 1994-95 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

3. Appropriation.—The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

SCHDULE
[See Section 2 and 3]
(Rs. in thousands)

| Demand No. | Services and Purposer | Sums Not Exceeding | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Voted by the Legislative Assembly | Charged on the Consolidated Fund | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | General Administration | 100 | — | 100 |
| 5 | Police | 20000 | — | 20000 |
| 10 | Development | 30000 | — | 30000 |
| 11 | Local Self Government & Public Works Department | 100600 | — | 100600 |
| | TOTAL | 150700 | — | 150700 |

R.T.L. D'SOUZA, Under Secy. (L.A.)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controllor of Publications, Delhi-110054, 1994